

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

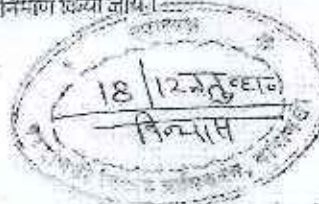
सं० ५७२ / न० ३४० वि०

दिनांक 22/1/13.

यह अनुमति केवल 30 प्रो नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्ष के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के विक्रियता या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

अर्थात् यह अनुमति किसी के विक्रियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।
निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती / श्रीमान सुरेश कुमार शैलान पुत्र
श्रीवरा लाल शैलान श्रीमती रश्मी शैलान पत्नी स्त्री शीला शैलान ज्योत शैलान
पिता/पति का नाम श्री आयली संख्या १९८, १९७२ क्षेत्र गोलपुर एवं अक्षिपा
वार्ड मैं सबसे मे दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के विहित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

दिनांक 20



वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट - 1- यह स्वीकृति मात्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिराया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्राप्ति पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किन्हे निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को जफ्त किया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवलम्ब इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से उसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पर मैं कहूँ, भली या नाली पर बड़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोटिको, बरज, लोहा, सीढ़ी, झौप नथे आदिवा पुनर्निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नवने में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. गवयन नियंत्रण से यदि सारी राहक की पट्टी अथवा सहक या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह धामो को गृह वैचार हो जाने पर दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से नरमत बनाकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को समता हो जावे, में कर देना होगा।

4. गृह निर्माण के समय उसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी चरम के नियम 1970) का जल्द से जल्द किसी दशा में न होना चाहिये। यदि आखिर की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार उपर्युक्त को भक्तान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 19 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह सम्झा जायगा कि भक्तान पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति यदि किसी कारणवश मजबूत, अधिकतरण अथवा अधीनकारी अनुमति के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न माना जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा ! इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें !

7. यदि अद्वितीय क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. मलवा अपने भूखण्ड पर रखने का शपथ पत्र दिया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
2. स्टिल्ट प्लॉर के नीचे बेसमेन्ट का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी दशा में बेसमेन्ट की छल भूतल के लेवल में होगी तथा उसमें मैकेनिकल वेन्टीलेशन की व्यवस्था प्राविधान किया जाना अनिवार्य है तथा रलैव का स्ट्रक्चर डिजाइन आदि फायर टेण्डर का भार वहन करने की क्षमता के अनुसार होगी। उक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. स्थल पर सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने पर पक्ष/आवेदक को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये भवन अथवा भवन के किसी अंश भाग का उपयोग/उपयोग नहीं किया जायेगा।
4. भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियर की होगी।
5. पक्ष को निर्माण सामग्री अपने भूखण्ड पर रखना होगा।
6. भूमि स्वागित्व सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी शर्तों से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में मानचित्र खतरा अस्वीकार माना जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
7. पक्ष को प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित सड़क विस्तार हेतु भूमि छोड़ने के उपरान्त ही स्वीकृत मानचित्र के अनुसार स्थल पर निर्माण करना होगा।
8. भूकम्परोधी निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण की स्ट्रक्चर डिजाइन, अगिलेख तथा शासनादेश के अनुक्रम में प्रमाण पत्र भू-स्वागित्व/बिल्डर/आर्किटेक्ट तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियर के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा।
9. निर्माण के दौरान बेसमेन्ट खुदाई हेतु सुरक्षा के सभी उपाय किये जायेंगे तथा स्ट्रक्च इंजीनियर के पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।
10. आपको मुख्य अग्निशामन अधिकारी के पत्र दि० 18.09.12 द्वारा निर्गत की गयी अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 19.12.12 का अनुपालन करना होगा।


जयन्त अभियन्ता (भवन)
विकास अधिकारण, शारंगपुरी।



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में

श्री अजय कुमार खेतान पुत्र स्व. जीवन लाल खेतान,
श्रीमती रतन खेतान पत्नी स्व. जीवन लाल खेतान,
आराजी संख्या-198, 199/2, मौजा-गंज,
मदईया, वार्ड-साल्नाथ, जाड़े-साल्नाथ
वाराणसी।

पत्रांक-12/12/विप्रा/निष्पाम/2016-17

दिनांक-15-6-16

विषय-आराजी संख्या-198, 199/2, मौजा-गंज व आराजी संख्या-43, मौजा-
मदईया, वार्ड-साल्नाथ पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गये अवैध
निर्माण को शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

सहोदर,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 09.07.15 का सन्वर्ध
लेने का कष्ट करें। उपरोक्त प्रपल का शमन मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया
जाता है कि आपको आगि शमन विभाग एवं पूर्व में दिये गये सभी शर्तों का पालन
सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक-स्वीकृत मानचित्र की 01 प्रतिलिपि।

भवदीय

जोनाल अधिकारी।

विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार के को.ड. 12 पर आंक-ए



वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

मेसर्स रूद्रा रियल स्टेट प्रा० लि०,
बजरिये श्री आनन्द अग्रवाल पुत्र स्व० अशोक कुमार अग्रवाल,
आराजी सं०-43, मौजा-मवइया व आराजी सं०-198, 199,
मौजा-गंज, परगना-शिवपुर, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी।

पत्रांक:- 18/12/गु०हा०/कम्पा०/विन्यास/वि०प्रा०/ 2018-19 दिनांक:- 14-5-18

विषय:- आराजी सं०-43, मौजा-मवइया व आराजी सं०-198, 199, मौजा-गंज,
परगना-शिवपुर, वार्ड-सारनाथ, वाराणसी पर प्रस्तुत स्वीकृत शमन मानचित्र के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2017 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। तद्क्रम
में आपको सूचित किया जाता है कि आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र पूर्व में उल्लिखित शर्तों के साथ
स्वीकृत कर दिया गया है; जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक- एक प्रति स्वीकृत शमन मानचित्र।

भवदीय,

Subar
14/05/18

प्रभारी अधिकारी मानचित्र।